प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

एकल पीठ : माननीय श्री संजय के. अग्रवाल न्यायाधीश

विविध अपील क्रमांक 101/2009

अपीलार्थी : मध्यप्रदेश वित्त निगम (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड)

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण : बृजेश कुमार पुगलिया (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधियों एवं अन्य

व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 43 नियम 1(क) के अंतर्गत अपील

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिवक्ताओं की उपस्थिति :

अपीलार्थी की ओर से श्री अनुप मजूमदार एवं श्री काशिफ शकील, अधिवक्तागण ।

प्रत्यर्थीगण की ओर से श्री अधिराज सुराना, अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 को पारित)

(1) मध्यप्रदेश वित्त निगम (जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड है) द्वारा यह अपील व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 43 नियम 1(क) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें दिनांक 24.04.2003 को पारित उस आदेश को चुनौती दी गई है, जो षष्ठ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायपुर द्वारा विविध प्रकरण क्रमांक 25/1999 में पारित किया गया था। उक्त आदेश द्वारा, इस अपील के अनावेदकगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 व्य.प्र.स के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया गया तथा आवेदक/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने हेतु लौटाया गया।

(2) इस अपील के निराकरण हेतु आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं—

(2.1) अपीलार्थी, अर्थात् मध्यप्रदेश वित्त निगम (सन् 1951 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित) द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (जिसे आगे '1951 का अधिनियम' कहा गया है) की धारा 31 के अंतर्गत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायपुर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह प्रार्थना की गई कि ₹1,02,98,685.13 (रुपये एक करोड़ दो लाख अट्ठानवे हजार छह सौ पचासी रुपये तेरह पैसे) की राशि, साथ ही 15% वार्षिक ब्याज सहित, अनावेदकगण/प्रत्यर्थीगण से अदा कराए जाने का आदेश पारित किया जाए।

(2.2) नोटिस प्राप्त होने पर अनावेदक/प्रत्यर्थीगण द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ यह अभिवचन किया गया कि विवादित राशि ₹10,00,000/- से अधिक है तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 (जिसे आगे '1993 का अधिनियम' कहा जाएगा) के प्रावधानों के अनुसार, उक्त राशि की वसूली के लिए आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार उस अधिनियम के अंतर्गत गठित ऋण वसूली अधिकरण में निहित है। अतः 1951 के अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन विधिसम्मत रूप से ग्राह्य नहीं है, और इसे निरस्त किया जाए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(2.3) विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश द्वारा, अनावेदक/प्रत्यर्थीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 व्य.प्र.स के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करते हुए यह अभिलिखित किया कि 1993 के अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ₹10,00,000/- से अधिक की राशि की वसूली का क्षेत्राधिकार ऋण वसूली अधिकरण में निहित है। अतएव, 1951 के अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन ग्राह्य नहीं है। फलस्वरूप, विचारण न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि 1951 के अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को सक्षम न्यायालय/अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु वापस किया जाए।

(3) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनुप मजूमदार एवं श्री काशिफ शकील ने यह निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष देते हुए कि 1951 के

अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत विवादित राशि की वसूली हेतु आदेश पारित करने का अधिकार (क्षेत्राधिकार) नहीं है, एक गंभीर विधिक त्रुटि की है। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि 1993 के अधिनियम की धारा 34(2) के प्रावधानों के अनुसार, उक्त अधिनियम के उपबंध 1951 के अधिनियम के अतिरिक्त हैं, न कि उसके प्रतिकूल । अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 34(2) के संरक्षण के कारण विधिसम्मत एवं ग्राह्य था।

(4) इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अधिराज सुराना ने आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए यह निवेदन किया कि उक्त आदेश में इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(5) विवाद के समुचित निराकरण हेतु यह उचित होगा कि 1951 के अधिनियम की धारा 31 तथा 1993 के अधिनियम की धारा 34 का उल्लेख किया जाए, जो निम्नानुसार हैं—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1951 के अधिनियम की धारा 31

"31. वित्तीय निगम द्वारा दावों के प्रवर्तन के लिए विशेष प्रावधान- (1) जब कोई औद्योगिक उपक्रम, किसी अनुबंध के उल्लंघन में, किसी ऋण या अग्रिम अथवा उसकी किसी किस्त के पुनर्भुगतान में चूक करता है, या निगम द्वारा दी गई किसी गारंटी के संबंध में अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहता है, अथवा वित्तीय निगम के साथ किए गए अनुबंध की शर्तों का पालन करने में असफल रहता है, अथवा जब निगम द्वारा धारा 30 के अंतर्गत किसी ऋण या अग्रिम की तत्काल अदायगी की मांग किए जाने पर भी वह उपक्रम ऐसा करने में विफल रहता है, तब— इस अधिनियम की धारा 29 तथा संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 69 के प्रावधानों के प्रतिकूल हुए बिना, वित्तीय निगम का कोई अधिकारी, जो इस प्रयोजन हेतु संचालक मंडल द्वारा सामान्य या विशेष रूप से अधिकृत हो, उस जिला न्यायाधीश के समक्ष, जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त औद्योगिक उपक्रम अपना संपूर्ण या महत्वपूर्ण व्यवसाय संचालित करता है, निम्नलिखित में से एक या अधिक राहतों के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है—

(क) उस संपत्ति के विक्रय के लिए आदेश प्राप्त करने हेतु, जो ऋण या अग्रिम की सुरक्षा के रूप में वित्तीय निगम के पक्ष में बंधक, गिरवी, अभिहित अथवा हस्तांतरित की गई हो।

(कक) किसी प्रतिभू के दायित्व के प्रवर्तन हेतु; या

(ख) औद्योगिक उपक्रम के प्रबंधन को वित्तीय निगम को हस्तांतरित किए जाने के लिए आदेश प्राप्त करने हेतु; या

(ग) औद्योगिक उपक्रम को उसके परिसर से यंत्र, संयंत्र अथवा उपकरण को बिना बोर्ड की अनुमति के स्थानांतरित या हटाने से रोकने हेतु अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान किए जाने के लिए, जहाँ ऐसे हटाए जाने की आशंका हो।

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में औद्योगिक उपक्रम की वित्तीय निगम के प्रति देयता का स्वरूप एवं परिमाण, आवेदन प्रस्तुत किए जाने के आधार तथा ऐसे अन्य विवरणों का उल्लेख किया जाएगा, जो विहित किए गए हों।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1993 के अधिनियम की धारा 34

"**34. अधिनियम का अधिभावी प्रभाव**- (1) उपधारा (2) में अन्यथा प्रावधानित होने के अतिरिक्त, इस अधिनियम के उपबंधों का प्रभाव उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि अथवा किसी अन्य विधि के अधीन प्रभावी किसी लिखत में निहित किसी भी असंगत प्रावधान के होते हुए भी प्रभावी होगा।

(2) इस अधिनियम के प्रावधान अथवा इसके अधीन बनाए गए नियम, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अधिनियम, 1963, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984, सिक इंडस्ट्रियल कंपनियां (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985, तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके प्रतिकूल ।

(6) इस प्रकार, 1993 के अधिनियम की धारा 34 के साधारण अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इसमें दो भाग हैं— प्रथम, उपधारा (1), जो इस अधिनियम के अधिभावी प्रभाव से संबंधित है,

जिसके अनुसार यह अधिनियम, उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि अथवा किसी अन्य विधि के अधीन प्रभावी किसी लिखत में निहित असंगत प्रावधानों के होते हुए भी प्रभावी रहेगा। द्वितीय, उपधारा (2), जो यह स्पष्ट करती है कि यह अधिनियम कुछ निर्दिष्ट विधियों के अतिरिक्त है, न कि उनके प्रतिकूल, जिनमें 1951 का अधिनियम भी सम्मिलित है। अन्य शब्दों में, किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था को यह विकल्प प्राप्त है कि वह या तो 1993 के अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करे अथवा 1951 के अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध वसूली के उपायों का सहारा ले। वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी/वित्तीय निगम ने 1951 के अधिनियम की धारा 31 का अवलंबन किया है, जो वित्तीय निगम द्वारा दावों के प्रवर्तन हेतु विशेष प्रावधान प्रदान करती है, तथा इसी के अंतर्गत उसने अपना आवेदन विचारण न्यायालय, अर्थात् जिला न्यायाधीश, रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) यूनिक ब्यूटाइल ट्यूब इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम एवं अन्य[1] के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि क्या यू.पी. लोकधन (देयों की वसूली अधिनियम) एक्ट, 1972 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा प्रारंभ की गई वसूली कार्यवाही, 1993 के अधिनियम की धारा 34 के आलोक में ग्राह्य है अथवा नहीं, और इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रतिपादित किया—

"9. अधिनियम की धारा 34 दो भागों में विभाजित है। उपधारा (1) इस अधिनियम के अधिभावी प्रभाव से संबंधित है, जिसके अनुसार यह अधिनियम उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि अथवा किसी अन्य विधि के अधीन प्रभावी किसी लिखत में निहित असंगत प्रावधानों के होते हुए भी प्रभावी रहेगा। उपधारा (1) स्वयं ही उन विषयों के संबंध में अपवाद प्रदान करती है, जो उपधारा (2) के अंतर्गत आते हैं। उक्त उपधारा (2) में उत्तर प्रदेश अधिनियम का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः उस अधिनियम के अंतर्गत ऋण की वसूली की प्रक्रिया को उपधारा (2) द्वारा संरक्षित नहीं किया गया है, जो कि वर्तमान प्रकरण के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उक्त उपधारा के

[1] 1 (2003) 2 SCC 455

साधारण अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह कुछ अधिनियमों के अतिरिक्त है, न कि उनके प्रतिकूल; जिनमें से एक वित्तीय निगम अधिनियम है। अन्य शब्दों में, किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था को यह विकल्प प्राप्त है कि वह या तो इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करे अथवा वित्तीय निगम अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध वसूली के उपायों का सहारा ले। इस सीमा तक, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष सही थे। परंतु जहाँ उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि यू.पी. अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही भी अनुमेय है, वहाँ वह त्रुटिपूर्ण है। यू.पी. अधिनियम पृथक वसूली के उपायों से संबंधित है तथा ऐसी कार्यवाहियाँ वित्तीय निगम अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहियों से संबद्ध नहीं हैं।"

(8) इसी प्रकार का प्रश्न बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष वाद **महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम बनाम देविदास के. विरकर एवं अन्य**[2] में भी उत्पन्न हुआ था, जिसमें यह विचारणीय था कि क्या 1951 के अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत वित्तीय निगम द्वारा प्रारंभ की गई ऋण वसूली कार्यवाही, 1993 के अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में संचालित की जा सकती है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित करते हुए कि 1951 के अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत वित्तीय निगम द्वारा की गई वसूली कार्यवाही, 1993 के अधिनियम की धारा 34(2) द्वारा संरक्षित है, निम्नानुसार अभिमत व्यक्त किया—

> "10. मेरा यह मत है कि इस विषय को किसी वृहद पीठ को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 34 की व्याख्या की जा चुकी है तथा अधिनियम की संपूर्ण योजना, जिसमें धारा 17, 18, 19 एवं 13 सम्मिलित हैं, पर विचार करने के पश्चात यह प्रतिपादित किया गया है कि वित्तीय संस्थाओं, जैसे महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम (एमएसएफसी), के पास अपने देयों की वसूली हेतु दोनों अधिनियमों के अंतर्गत उपाय उपलब्ध हैं। जब ऐसे उपाय संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत उपलब्ध हैं तथा किसी भी पक्ष द्वारा न तो उन्हें निषिद्ध

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

[2] AIR 2004 Bombay 323

बताया गया है और न ही विवादित किया गया है, तब ऐसे मामलों को, जो इस न्यायालय में लंबित हैं, आगे बढ़ाने में कोई बाधा नहीं है। पक्षकारों द्वारा इन कार्यवाहियों को ऋण वसूली अधिनियम, 1993 के अंतर्गत स्थापित ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) में स्थानांतरित किए जाने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में, न्यायालय स्वयं पक्षकारों को बाध्य नहीं कर सकता कि वे इन कार्यवाहियों को किसी अन्य मंच पर स्थानांतरित करें अथवा वहाँ कार्यवाही करें।"

(9) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी, वाद **कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम बनाम एम/एस सन कैनिंग (पी.) लिमिटेड एवं अन्य** में, समान परिस्थिति पर विचार करते हुए यह प्रश्न निर्धारित किया कि क्या 1993 के अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात 1951 के अधिनियम के अंतर्गत गठित कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम द्वारा ऋण की वसूली की कार्यवाही अनुमेय है अथवा नहीं। उक्त प्रश्न का निराकरण करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिमत व्यक्त किया कि 1951 के अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत ऋण वसूली की कार्यवाही पूर्णतः ग्राह्य है, और इस संदर्भ में निम्नानुसार प्रतिपादित किया—

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"**10**. धारा 34(2) के अंतर्गत निहित यह संरक्षण उपबंध स्पष्ट करता है कि ऋण वसूली अधिनियम के प्रावधान, उसमें उल्लिखित अन्य अधिनियमों के अतिरिक्त हैं, न कि उनके प्रतिकूल। अतः, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अधिनियम, 1963, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984, तथा सिक इंडस्ट्रियल कंपनियां (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 जैसे विशेष अधिनियमों के अंतर्गत जिन प्राधिकारियों को क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है, उनका उपयोग किया जा सकता है, भले ही ऋण वसूली अधिकरण को अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार प्राप्त हो।"

(10) अतः, 1993 के अधिनियम की धारा 34(2) स्पष्ट रूप से यह उपबंधित करती है कि इस अधिनियम के प्रावधान 1951 के अधिनियम के अतिरिक्त हैं, न कि उसके प्रतिकूल । फलस्वरूप, मध्यप्रदेश वित्त निगम/वर्तमान अपीलार्थी जैसे वित्तीय संस्थान, जो कि 1951 के अधिनियम के

अंतर्गत गठित हैं, को अपने देयों की वसूली हेतु दोनों अधिनियमों — 1951 तथा 1993 — के अंतर्गत उपाय उपलब्ध हैं। यदि वित्तीय निगम ने अपने देयों/ऋण की वसूली के लिए 1951 के अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत उपलब्ध उपाय का सहारा लिया है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि धारा 1(3) या अन्य प्रावधानों के आधार पर ऐसा आवेदन ग्राह्य नहीं है। अतः, यह प्रतिपादित होता है कि धारा 31 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन विधिसम्मत एवं ग्राह्य है।

(11) उपर्युक्त कारणों के आलोक में यह घोषित किया जाता है कि अपीलार्थी/वित्तीय निगम द्वारा 1951 के अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत अपने देयों की वसूली हेतु प्रस्तुत आवेदन पूर्णतः ग्राह्य है तथा यह 1993 के अधिनियम की धारा 1(3) के अधीन अवरुद्ध नहीं है। अतः, विचारण न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया जाना कि धारा 31 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन ग्राह्य नहीं है, तथा उक्त आवेदन को वापस करने का निर्देश देना, एक गंभीर विधिक त्रुटि है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) परिणामतः, यह अपील स्वीकार की जाती है। दिनांक 24.04.2003 को षष्ठ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायपुर द्वारा विविध वाद क्रमांक 25/1999 में पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 31 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन का विधि के अनुसार यथाशीघ्र निराकरण करे, अधिमानतः आज की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर। पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 25.11.2013 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।

सही/-

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Smriti Shrivastava (Advocate)